रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032020-218789
CG-DL-E-19032020-218789

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]	नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2020/फाल्गुन 26, 1941
No. 152]	NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2020/PHALGUNA 26, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2020

सा.का.नि. 178(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारुप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक 886 (अ), तारीख 29 नवंबर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन प्रभावित व्यक्तियों से, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 29 नवंबर, 2019 को उपलब्ध करा दी गईं थीं;

और उक्त प्ररुप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार ने विचार कर लिया है;

अत: अब केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2020 को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (इसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), में –

(क) प्ररुप 20 में, क्रम सं. 5 अर्थात् "5. वर्तमान पते पर निवास की अवधि ...." के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किए जाएगा, अर्थात् :-

"5(क) यान के स्वामी का मोबाइल संख्यांक ....";

(ख) प्ररुप 23क में, "5.4 पैन संख्या (वैकल्पिक)........." शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"5.5 मोबाइल संख्यांक ....";

(ग) प्ररुप 24 के क्रम संख्यांक 3 में "(अस्थायी)" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किए जाएगा, अर्थात् :-

"स्वामी का मोबाइल संख्यांक............";

(घ) प्ररुप 25 में, " मैं ...." शब्दों और अंकों के पश्चात् तथा "एतद्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन करता हूं, जो संलग्न है और उसकी विशिष्टियां निम्नलिखित हैं -- " शब्दों और अंकों के पूर्व "मेरा/हमारा मोबाइल संख्यांक ......है " शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(ड.) प्ररुप 26 में " मैं/हम घोषणा करता/करते हैं कि मैं/हम.....(तारीख) को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के गुम हो जाने के बारे में उसे खोया हुआ सूचित करने के तुरंत पश्चात् पुलिस को एक शिकायत (प्रतिलिपि संलग्न) दर्ज की है" शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"मेरा/हमारा मोबाइल संख्यांक ......है ";

(च) प्ररुप 27 में "यदि "वित्तपोषक का "निराक्षेप प्रमाणपत्र" संलग्न नहीं किया जाता है, तो आवेदक को इस आवेदन के साथ धारा 51 की उपधारा (8) के अपेक्षानुसार घोषणा फाइल करनी होगी" शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"मेरा/हमारा मोबाइल संख्यांक ......है ";

(छ) प्ररुप 28 के बाद भाग 1 में, "2. ....का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री" शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"2क. यान के स्वामी का मोबाइल संख्यांक........";

(ज) प्ररुप 30 के भाग 2 में "अंतरिती का नाम..........का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री श्री...........आयु ...." शब्दों और अंकों के पश्चात् और "पूरा पता............" शब्दों और अंकों के पूर्व निम्नलिखित शब्द और अंक अर्थात् "मोबाइल संख्यांक........."अंत:स्थापित किये जाएंगे;

(झ) प्ररुप 31 में "5.उत्तराधिकार का सबूत" शब्दों और अंकों के पश्चात निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"6. नए स्वामी का मोबाइल संख्यांक.............";

(ञ) प्ररुप 32 में "मैं/हम वे दस्तावेज संलग्न करता हूं/करते हैं जो नियम 57 के उपनियम (1) के अधीन मेरे/हमारे द्वारा पेश किए जाने हैं" शब्दों और अंकों के पश्चात निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"मेरा/हमारा मोबाइल संख्यांक ......है ";

(ट) प्ररुप 33 में, "वर्तमान पता नीचे दिया गया है (प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए)............" शब्दों और अंकों के पश्चात निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"मेरा/हमारा मोबाइल संख्यांक ......है ";

(ठ) प्ररुप 34 में, "हमारा अनुरोध है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और आपके कार्यालय में सुसंगत अभिलेख में करार को प्रविष्टि कर ली जाए" शब्दों और अंकों के पश्चात निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"मेरा/हमारा मोबाइल संख्यांक ......है ";

(ड) प्ररुप 35 में, "रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और साथ ही फीस संलग्न है ।" शब्दों और अंकों के पूर्व निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"मेरा/हमारा मोबाइल संख्यांक ......है ";

(ढ) प्ररुप 36 में, "मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रति ।" शब्दों के पूर्व निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"मेरा/हमारा मोबाइल संख्यांक ......है ";

(ण) प्ररुप 42 में, "2.रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रुप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले व्यक्ति की आयु" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2क. रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रुप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले व्यक्ति का मोबाइल संख्यांक........" ;

(त) प्ररुप 44 में "मैं रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और यान के ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र संलग्न करता हूं" शब्दों के पूर्व निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"मेरा/हमारा मोबाइल संख्यांक ......है ";

[सं. आरटी-11036/74/2019-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक 104(अ), तारीख 11. 02. 2020 को किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2020

G.S.R. 178 (E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988),

vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 886 (E), dated the 29th November, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 29th day of November, 2019;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 64 of the Motor Vehicles Act, (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2020;

(2) They shall come into force on 1st April 2020.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, -

(a) in Form 20, after serial number 5 namely "5. Duration of Stay at the present address ……………" following shall be inserted, namely:-

"5(A). Mobile number of the owner of the vehicle ……………….";

(b) in Form 23A, after serial number 5.4 namely "5.4 PAN Number (optional) …………." following shall be inserted, namely: -

"5.5 Mobile Number ………………";

(c) in Form 24, in serial number 3, after the word and brackets namely "(temporary)", following shall be inserted, namely.-

"Mobile number of the owner ………… ";

(d) in Form 25, in the opening paragraph, before the words, namely "hereby apply for the renewal of the certificate of registration", the words and figures "having mobile number …………….", shall be inserted;

(e) in form 26, after the words, figure and brackets namely "I/We hereby declare that I/We on …………. (date) have filed a complaint (copy enclosed) with the police about the loss of Certificate of Registration immediately after the loss has been noticed" following paragraph shall be inserted, namely: -

"My/Our mobile number is ………………";

(f) in Form 27, after the words and figure namely "If "No objection Certificate" has been refused by the financier the applicant should file along with this application a declaration as required under sub-section (8) of section 51" following paragraph shall be inserted, namely: -

"My/Our mobile number is ………………";

(g) in PART I of Form 28, after serial number 2 namely "2. Son/wife/daughter of ……………….", following shall be inserted, namely. -

"2a. Mobile number of the owner of the vehicle…………..…";

(h) in PART II of Form 30, in the opening paragraph, after the words and figure, namely, "Name of the Transferee …………. Son/wife/daughter of …………. Age………" and before the words and figure, namely, "Full address …………" the words and figure, namely, "Mobile number …………" shall be inserted;

(i) in Form 31, after serial number 5 namely "5. Proof of his succession", following shall be inserted, namely: -

"6. Mobile number of the new owner ………………";

(j) in Form 32, after the words and figure namely "I/We enclose the documents required to be submitted by me/us under sub-rule (1) of rule 57", following paragraph shall be inserted, namely: -

"My/Our mobile number is ………………";

(k) in Form 33, after the words and figure namely "The present address is given below (evidence to be enclosed) ………………………………………", following paragraph shall be inserted, namely: -

"My/Our mobile number is ………………";

(l) in Form 34, after the words and figure namely "We request that an entry of the agreement be made in the certificate of registration and the relevant records in your office.", following paragraph shall be inserted, namely: -

"My/Our mobile number is ………………";

(m) in Form 35, before the line namely "The certificate of Registration together with the fee is enclosed.", following paragraph shall be inserted, namely: -

"My/Our mobile number is ………………";

(n) in Form 36, before the words and figure namely "Copy to the original Registering Authority", following paragraph shall be inserted, namely: -

"My/Our mobile number is ………………";

(o) in Form 42, after the serial number 2 namely "2. Age of the person to be registered as registered owner" following shall be inserted, namely: -

"2a. Mobile number of the person to be registered as registered owner ……..…………";

(p) in Form 44 before the paragraph namely "I enclose the certificate of registration and certificate of fitness* of the vehicle" following paragraph shall be inserted, namely: -

"My mobile number is ……..…………".

[No. RT-11036/74/2019-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R. 104 (E), dated 11.02.2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.03.19 14:55:06 +05'30'